उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग-2
संख्या-814-24-पी-2-24
लखनऊ : दिनांक 04 जुलाई, 2024

<u>अधिसूचना</u>
आदेश

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 2- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ, 3- उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ, 4- उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ, 5- कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, 6- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, 7- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, 8- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ और 9- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाये।

)संजय शुक्ला(
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 05.07.2024 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया जाये।

आज्ञा से,

)संजय शुक्ला(
संयुक्त सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 814/24-P-2-2024, Dated 04.07.2024

UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-2
No. 814/24-P-2-2024
Lucknow:Dated 04.07.2024

Notification

WHEREAS, the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

Now THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P Act no. XXX of 1966), the Governor is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the Gazette, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited, Lucknow, 4. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 5. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 6. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 7. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 8. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 9. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the Gazette.

By order,

(SANJAY SHUKLA)
JOINT SECRETARY